राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 525/2025

महेन्द्र कुमारी **–अपीलार्थी**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्ववास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : **21**.02.2025
आदेश की दिनांक : 25.02.2025

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री दिनेश कुमार ओझा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : चेतन राम देवडा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग ऑफीसर के पद पर राजकीय श्री कल्याण मेडीकल कॉलेज, सीकर में पदस्थापित है। अपीलार्थी के पति भी अरबन हेल्थ सेन्टर, सीकर में कार्यरत है तथा उनके दो छोटे बच्चे हैं जो सीकर के विद्यालय में ही अध्ययनरत हैं। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय बांगड चिकित्सालय, डीडवाना में किया गया है। उक्त आलौच्य आदेश की पालना में प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा अपीलार्थी को आदेश दिनांक 27.01.2025 (अनुलग्नक–3) के द्वारा कार्यमुक्त कर दिया है।
3. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह अभिकथन किया कि अपीलार्थी की सास विभिन्न बीमारियों से ग्रसित है एवं उनका ईलाज सीकर में चल रहा है (अनुलग्नक–1)। उनका यह भी कथन है कि स्थानान्तरण किए जाने से पूर्व

जिला परिषद् की प्रशासन एवं संस्थापन समिति से सहमति प्राप्त नहीं की गई है, जिसके कारण राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम–8(ii) के अनुसार कार्यवाही नहीं किए जाने पर आलोच्य आदेश अपास्त किए जाने योग्य है। इस प्रकार आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–2) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 2011 के नियम–8(ii) के अवहेलना में जारी किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 एवं दिनांक 27.01.2025 (अनुलग्नक–2 एवं 3) को अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित करते हुए प्रत्यर्थीगण को नोटिसेज जारी किये जावें।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपीलार्थी द्वारा अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवडा)
सदस्य